

:- आदेश :-

सम्बन्धित प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु आवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को उन्नीस हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गयी है। दुरस्ती परसूत निर्णयानुसार वृद्धि सुधार की रांजा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परसपर सहमति है कि प्रार्थीगण ने मर्गनामा का तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती सकारण अभिलेख में ही ये निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने को आदेश दिये जाते हैं :-

1	2	पूर्व इन्द्राज			स्वीकृत किया गया इन्द्राज		
		3	4	5	6	7	8
ग्राम का नाम	खतबे संख्या	खतबेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खतबेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
जोगडी	170	देवराज पुत्र	908	0.01	देवराज पुत्र	908	0.01
		मैदिया काँम	909	0.07	मैदिया काँम	909	0.07
		मेघवंशी साठ हँद	910	0.01	साठ हँद	910	0.01
		आगे हँद	911	10.07	आगे हँद	911	10.07
		असल			असल		

जमाक :-  $\frac{400}{21.11.21}$

निर्णय पालनार्थ :-  
1. उप तहसीलदार, मौलासर

शिविर प्रमारी  
(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डी.एम.)  
दिनांक :- 21.11.21

शिविर प्रमारी  
(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डी.एम.)  
दिनांक :- 21.11.21, प.स. मौलासर

निर्णय पालनार्थ :-  
1. खतबेदार हलक... **जोगडी** को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का रजिस्ट्रेशन नहीं हो तो निर्णय पालन सुनिश्चित करें।

उप तहसीलदार, मौलासर